XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 99–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-3-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 2890–दो/14 में पारित आदेश दिनांक 10.9.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । आवेदकों की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत अपील की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई है तथा आलोच्य आदेश उन्हें बिना सुने पारित किया गया है । आवेदकों की ओर से लिया गया उक्त आधार अभिलेख के विपरीत है क्योंकि आवेदकगण जो कि मूल प्रकरण में (अनावेदकगण हैं) की ओर से सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, उन्हें तथा अनावेदक (मूल प्रकरण में आवेदक) अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा जाकर दिनांक 10.9.14 को आलोच्य आदेश पारित किया गया है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्व मंडल में शासन के विरूद्ध जो प्रकरण पेश होते हैं उनमें शासन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता पैरवी करते हैं, वर्तमान प्रकरण में भी शासकीय अधिवक्ता के तर्क मूल निग0 प्रकरण कमांक 2890–दो/14 प्रकरण में सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था और तदुपरांत आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अतः आवेदक का उन्हें बिना सुने आदेश पारित किए जाने के संबंध में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिया गया तर्क अभिलेख के विपरीत होने से मान्य किए जाने योग्य नहीं है । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । संहिता के धारा 51 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण. आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	

अनुहस्ताक्षर (कोर्ट फीस)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यपदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र /2014 रिव्यू 99-I-15

आवेदकगण :-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल म0प्र0

दिनांक 15-1-15 को श्री गजेन्द्र सिंह तोमर शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत/
15-1-15
50

2. जिलाधीश,कार्यालय कलेक्टर, जिला जबलपुर म0प्र0 ।

3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर म0प्र0 ।

विरूद्ध :-

उत्तरवादी :- आनंद माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा पार्टनर, संजय पाठक पिता सत्येन्द्र पाठक उम्र 42 वर्ष निवासी -- पाठक वार्ड कटनी म0प्र0 ।

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश सदस्य राजस्व मण्डल के अपील प्रकरण क्रमांक 2890 -- दो/14 जबलपुर आनन्द माईनिंग कार्पोरेशन बनाम मुख्य वन संरक्षक वन विभाग म0प्र0 आदेश दिनांक 10/09/2014 को पारित आदेश की जानकारी दिनांक 18/12/2014 में प्राप्त हुई।

आवेदकगण सविनय निवेदन करते है :-

1. यह कि उत्तरवादी के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रकरण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 209/ब-121 /2012 --13 में पारित आदेश दिनांक 09/01/2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू -- राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता

वन मण्डलाधिकारी
जबलपुर (सा.) वन मंडल